न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–462 सन् 2015

भिखारी राय......................................वादी।

बनाम

उमेश राय वगैरह..............................प्रतिवादी।

दिनांक– 04.04.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 28.04.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद की तकरारी एराजी सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश जिसका विवरण इस आवेदन के अंत में दाखिल किया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप न्यायहीत में न्याय के समक्ष आना जरूरी है। अतः निवेदन है कि किसी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त को इस वाद के तकरारी एराजी के संदर्भ में नियुक्त कर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 28.04.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री नवीन किरण को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।